क्रमांक 6838-3 एस0-71-/31493

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(i) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त अम्बाला मण्डल, तथा सभी उपायुक्त और उप-मण्डल अधिकारी ।

(ii) रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा स्तर न्यायधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़ 3 नवम्बर, 1971 ।

विषय :—गोपनीय रिपोर्ट —प्रतिकूल कथनों के विरुद्ध अभिवेदन ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 6186-3 एस0–60 दिनांक 10 दिसम्बर, 1969 की ओर दिलाऊं और यह कहूं कि यह बहुत असन्तोषजनक तथा डिसटरबिंग बात है. कि उपरोक्त पत्र में जारी की गई हिदायतों के बावजूद भी कुछ ऐसे केसिज सरकार के ध्यान में आए हैं जिन में (प्रतिकूल विचारों के विरुद्ध अभिवेदनों में) वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ Irresponsible और reckless तौर पर *malafide* की allegations लगाई जाती है अर्थात कर्मचारी/अधिकारी द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज प्रतिकूल कथनों के विरुद्ध अभिवेदनों में रिपोर्टिंग आफिसरों के विरुद्ध झूठे तथा बेबुनियाद एलीगेशनज लगाई जाती हैं । यह डिसिपलिन के विरुद्ध कार्यवाही है और सरकार इसे गम्भीरता से देखती है । यह निर्णय किया गया है कि इस तरह के दोष के लिए सख्त कार्यवाही की जाए तथा सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को सरकार की नाराजगी व्यक्त की जाए (जिस की एक प्रति कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र पंजी में भी रखी जाए) या और कोई उचित अनुशासनिक कार्यवाही की जाए । इस लिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रतिकूल विचारों के विरुद्ध अभिवेदन करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ।

2. आप से अनुरोध है कि ये अनुदेश आप के नियन्त्रण में काम कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों के ध्यान में सुचना एवं मार्गदर्शन के लिए लाए जाएं ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) ....

उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचना के लिए भेजी जाती है :—

(1) वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा, तथा

(2) हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव ।

हस्त/–

उप सचिव राजनैतिक एवं सेवाएं,

कृते: मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा, तथा
2. हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव ।

अशासकीय क्रमांक 6838-3 एस0-71/दिनांक 3 नवम्बर, 1971 ।

एक-एक प्रति मुख्य मन्त्री/मन्त्रियों/उप-मन्त्रियों/मुख्य संसदीय सचिव के सचिवों/निजी सहायकों को, मुख्य मन्त्री/मन्त्रियों/उपमन्त्रियों मुख्य संसदीय सचिव की सूचना के लिए भेजी जाती है ।

हस्त/-

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

मुख्य मन्त्री/मन्त्रियों/उपमन्त्रियों/मुख्य संसदीय सचिव के सचिवों/निजी सचिवों/निजी सहायकों ।

अशासकीय क्रमांक -6838-3 एस0 –71 दिनांक 3 नवम्बर 1971 ।